



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



CIN : L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 12 April, 2023

PGCIL/R/T/23/00017

Shri Gopal Dogra,
Lok Suchana Karyakarta, Balmiki Nagar, Rishikesh, Distt.- Dehradun, Uttarakhand

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 17 March, 2023 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी. अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (के.आयोजना एवं सी.एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,
E. Jaganath Rao
12/04/23

मुख्य महाप्रबंधक (केन्द्रीय आयोजना) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

विषय: श्री गोपाल डोगरा, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा आर.टी.आई. आवेदन का जवाब

(आर.टी.आई. आवेदन रजि0 सं0. PGCIL/R/T/23/00017)

क्रमांक	मांगी गई सूचना:	पावरग्रिड का जवाब:
5.	ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अपने अधीनस्थ विद्युत संस्थानों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु/समान कार्य समान वेतन के जो दिशा निर्देश/ सुप्रीम कोर्ट/भारतीय संसद के आदेश अनुसार लागू किये हैं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि ।	पावरग्रिड प्रधान (प्रिंसिपल) नियोक्ता है और सफाई कर्मचारियों को सीधे काम पर नहीं रखता है। सफाई कर्मचारियों का ठेका एजेंसी को दिया जाता है और एजेंसी द्वारा ही सफाई कर्मचारियों को लगाया जाता है। सफाई कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान एजेंसी द्वारा ही संबंधित कर्मचारियों को सीधे जारी किया जाता है।

विकी-ए
12/04/23